राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

पुनर्वित्त परिचालन विभाग

विशेष पुनर्वित्त सुविधा 2021 (एसआरएफ-2021)

कोविड-19 के उपरांत, आवास वित्त क्षेत्र में वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही से संस्वीकृतियां एवं संवितरण में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। विगत वर्ष मई/जून में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आत्म निर्भर भारत अभियान) ने राष्ट्रीय आवास बैंक को विशेष पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत 10,000 करोड़ रु. की पुनर्वित्त समर्थन प्रदान किया था। यह सुविधा एक वर्ष के लिए थी और पुनर्भुगतान मई, 2021 में देय है।

कोविड -19 मामलों के हालिया प्रभाव को देखते हुए, विकास की गति को बनाए रखने हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) को 10,000 करोड़ रु. की एक और विशेष चलनिधि सुविधा -2 (एसएलएफ-2) प्रदान की है।

तदनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक ने **विशेष पुनर्वित्त सुविधा-2021 (एसआरएफ-2021) योजना** आरम्भ की है। योजना का उद्देश्य आवास वित्त कंपनियों एवं अन्य पात्र प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को अल्पकालिक पुनर्वित्त सहायता प्रदान करना है जो उनकी चलनिधि आवश्यकता को पूरा करेगी। इसके अतिरिक्त, इस सुविधा का भुगतान प्रणाली से चलनिधि के आकस्मिक आहरण न करने हेतु 4 तिमाही किस्त में किया जायेगा।

योजना के अंतर्गत पात्रता मानदंड एवं अन्य पैरामीटर निम्नलिखित हैं।

क.	पात्र संस्थान	अन्य पात्र प्राथमिक ऋणदाता संस्थाएं (एलआरएस के तहत पुनर्वित्त हेतु पात्र आ.वि.कं./आरआरबी/ एसएफबी/एससीबी) के साथ सभी आवास वित्त कंपनियां जिन्होनें एसआरएफ/एएसआरएफ के अंतर्गत कुछ रियायतों के साथ यथा 31.03.2020 **को केवल एसआरएफ-2021 के विशिष्ट उद्देश्य हेतु** वित्तीय सहायता प्राप्त की हैः • अधिकतम निवल एनपीए की सीमा %7.50 • कुल आस्तियों के लिए वैयक्तिक आवास ऋण का अनुपात एलआरएस (आ.वि.कं. हेतु) के तहत न्यूनतम 51% होना चाहिए।
ख.	ऋण की अवधि	• आहरण की तिथि से एक वर्ष तक। • अनुमत अवधि के 4 समान तिमाहियों या इससे पूर्व किसी तिथि (पूर्व भुगतान के मामले में 30 दिनों के नोटिस के साथ) को चुकाना होगा।
ग.	ब्याज	• ब्याज दर प्राथमिक ऋणदाता संस्थान की आंतरिक क्रेडिट रेटिंग पर आधारित होगी। अतः, ब्याज दर प्रभार की गणना रेपो दर (वर्तमान में 4%) रेटिंग स्प्रैड जैसा लागू हो, पर होगी। • चक्रवृद्धि की आवृत्ति मासिक होगी एवं इसका भुगतान तिमाही आधार पर किया जायेगा। • किस्त के साथ तिमाही आधार पर दिया जाने वाला ब्याज।

घ.	सुविधा के तहत पुनर्वित्त की अधिकतम सीमा	• यथा 31.03.2020 को प्राथमिक ऋणदाता संस्थान/राष्ट्रीय आवास बैंक की निवल स्वाधिकृत निधि का 20% या 2000 करोड़ रु. जो भी कम हो। • वित्त वर्ष 2021-21 के दौरान वित्तीय निष्पादन पर भी विचार किया जाएगा।
ङ	पुनर्वित्त के लिए प्रतिभूति	• रा.आ.बैंक की विद्यमान उदारीकृत पुनर्वित्त योजना (एलआरएस) के अंतर्गत यथा लागू। इसके अतिरिक्त, आवास वित्त कंपनियों/प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को मांग वचन पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। • आहरण के समय, प्राथमिक ऋणदाता संस्थान चिन्हित ऋण सूची प्रदान करेगा और यह भी वचन देगा कि इन ऋणों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा (राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के 16ख के तहत कवर किया जाएगा)। • 100% तक की सुविधा के लिए केवल मानक खातों को ही चिह्नित किया जा सकता है।
च.	आवेदन	• इस सुविधा का लाभ उठाने की इच्छुक आवास वित्त कंपनियां/प्राथमिक ऋणदाता संस्थान निर्धारित प्रारूप (राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध) में मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित यथा 31.03.2021 के अनंतिम तुलन पत्र तथा 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण के साथ अपना आवेदन महाप्रबंधक, पुनर्वित्त परिचालन विभाग, राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली को प्रस्तुत कर सकते हैं।

वैयक्तिक आवास ऋण का अनुपात, निवल स्वाधिकृत निधि एवं एनएनपीए अनुपात तथा प्राथमिक ऋणदाता संस्थान की आंतरिक रेटिंग को यथा 31 मार्च, 2020 तक अंतिम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर लिया/प्रसंस्करित किया जायेगा।

प्राथमिक ऋणदाता संस्थान ध्यान दें कि यह एक अल्पकालिक पुनर्वित्त सुविधा है तथा इसलिए, इच्छुक प्राथमिक ऋणदाता संस्थान से अनुरोध है कि वे समय पर प्रसंस्करण, प्रलेखन एवं संवितरण हेतु विधिवत प्रमाणित दस्तावेजों के पूर्ण सेट के साथ अपने भली भांति पूरे किये गए आवेदन को प्रस्तुत करें।

नई दिल्ली
13-04-2021

महाप्रबंधक
पुनर्वित्त परिचालन विभाग, राष्ट्रीय आवास बैंक

नोट: किसी भी विवाद की दशा में अँग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा।